रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 1973/वैशाख 1, 1895

No. 89] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1973/VAISAKHA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1973.

G.S.R. 203(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Sections (2) and (3) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Y. T. Shah to be member and also the Chairman of the Company Law Board in place of Shri R. Prasad with effect from 12th April, 1973, and makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 177, dated the 1st February, 1964, namely:—

In the said notification in clause (a), for the entry "(1) Shri R. Prasad," the entry "(1) Shri Y. T. Shah" shall be substituted and for the entry "(b) Shri R. Prasad, to be the Chairman of the Company Law Board" the entry "(b) Shri Y. T. Shah, to be Chairman of the Company Law Board" shall be substituted.

This Department notification of even number dated 12th April 1973 is hereby cancelled.

[No. 1(18)/69-Admn.I]

C. C. GANAPATHY, Jt. Secy.

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1973

सा० का० नि 203(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) की धारा 10 ड की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वाई० टी० शाह को 12 अप्रैल, 1973 से श्री आर० प्रसाद के स्थान पर कम्पनी विधि बोर्ड का सदस्य तथा साथ ही अध्यक्ष, होना निर्धारित करती है, एवं भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, (राजस्व विभाग) को दिनांक 1 फरवरी, 1964 की अधिसूचना सा० का० नि० संख्या में निम्नांकित संशोधन करती है ; यथा,

कथित अधिसूचना के खण्ड (क) में "(1) श्री आर० प्रसाद" शब्द के स्थान पर "(1) श्री वाई० टी० शाह" शब्द प्रविष्ट किया जाएगा एवं "(ख) कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष होने के लिए श्री आर० प्रसाद" शब्दों के स्थान पर "(ख) विधि कम्पनी बोर्ड के अध्यक्ष होने के लिए श्री वाई० टी० शाह" शब्द जोड़े जायेंगे ।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-4-73 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है ।

[सं० 1(18)/69-एडमन-1]

सी० सी० गणपति, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973